राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ (राज0)

क्रमांक/स्था./नोटिस/2022/667 दिनांक : 30/9/2022

प्रेषिति,

श्री रामकुमार टाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
डूँगला।

कारण बताओ नोटिस

दिनांक 26.09.2022 को उप पुलिस अधीक्षक भदेसर द्वारा अति. कलक्टर प्रशासन को यह संज्ञान में लाया कि सारंगपुरा गॉव की लडकी को जला कर हत्या करने की आशंका से चिकारड़ा ,मंगलवाड़ रास्ते को जाम कर दिया गया है इस संबंध में पता करने पर पता चला कि आप उक्त दिनांक को बिना पुर्वानुमति के मुख्यालय छोडकर चले गये है। जिसके कारण कानून व्यवस्था संबंधी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा एवं मौके पर अन्य उपखण्ड अधिकारी को भेजना पड़ा। अवकाश के संबंध में आप द्वारा मुख्यालय छोडने से पूर्व उच्च अधिकारियों से सक्षम अनुमति प्राप्त नही की गई और न ही दूरभाष पर उनसे सहमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़ा गया ,जो अत्यंत खेदजनक एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।

आपका बिना किसी सूचना के आपका कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित होना राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। आपका उक्त कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेशें/निर्देशें की अवहेलना किये जाने की श्रेणी में आता है। इस संबंध में यदि आप कोई उचित कारण रखते हो तो अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर यह मान लिया जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपके विरूद्ध कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–3/जांच/2004 दिनांक 13.10.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण अपील एवं नियंत्रण) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी सुनिश्चितता कर ली जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2024.02.08 10:47:56 IST
Reason: SelfAttested